भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1665

13.02.2023 को उत्तर के लिए

केरल में तटीय भूमि कटाव

1665. डॉ. शशि थरूर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल विश्वविद्यालय के एक हाल के अध्ययन के बारे में पता है जिसमें यह सामने आया है कि पिछले चौदह वर्षों में तिरुवनंतपुरम में 58 किलोमीटर की दूरी के साथ लगी 647 एकड़ की तटीय भूमि समुद्र में चली गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में केरल राज्य सरकार से भूमि संरक्षण या प्रत्यास्थापन के प्रयास सहित कोई जानकारी मांगी है या प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल की राज्य सरकार ने तटीय संरक्षण कार्यों के लिए सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है और क्या यह सहायता उपलब्ध करा दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले को आगे और देखने तथा तत्काल उपचारात्मक और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए, अकेले या केरल राज्य सरकार के साथ मिलकर कोई समिति गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन निदेशालय, केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें तिरुवनंतपुरम के तट भूमि क्षेत्र संबंधी केरल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के विषय में कोई जानकारी नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में केरल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केन्द्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संबद्ध कार्यालय, भारत सरकार द्वारा 1990 से क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा के साथ मल्टीस्पेक्ट्रल उपक्रम चित्रों का प्रयोग करके संपूर्ण भारतीय तट रेखा में तट रेखा परिवर्तनों की निगरानी की जा रही है। इस अध्ययन के भाग के रूप में तिरुवनंतपुरम जिले के लिए सांख्यिकी आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

भू-क्षति (हे.)	भूमि लाभ (हे. में)	क्षरण (%)	स्थिर (%)	अभिवृद्धि (%)
85.37	127.57	34.4	34.4	31.2

(ग) : केरल सरकार से केन्द्रीय स्कीम के तहत वित्तपोषण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, केन्द्रीय जल आयोग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को तैयार करने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टों (पीपीआर) को स्वीकृति दी गई है:

(i) एशियन डेवेलपमेंट बैंक (एडीबी) से 3500 करोड़ रू. की राशि की बाहरी सहायता हेतु केरल संधारणीय तटीय सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूल आयोजना परियोजना, और

(ii) प्रतिस्कंदी केरल कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त वित्त प्रबंध विश्व बैंक से 1590 करोड़ रू. की राशि की बाहरी सहायता हेतु तटीय सुरक्षा परियोजना (चरण-।।)

(घ) : तट रेखा सुरक्षा हेतु राज्य सरकारों को अधिदेशित किया गया है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को केरल राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****